भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 358
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना के तहत धनराशि का संवितरण

***358. श्री बैन्नी बेहनन:**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वित्तीय वर्ष 2024 में पीएम-किसान योजना के तहत धनराशि के संवितरण में हुई राज्यवार प्रगति का ब्यौरा क्या है:

(ख) कितने अपात्र लाभार्थियों की पहचान की गई है और उनसे कितनी राशि वसूली गई है;

(ग) वर्ष 2024 में इस योजना के तहत राज्यवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के तहत सभी लाभार्थियों के लिए 'आधार' आधारित सत्यापन के कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पीएम-किसान योजना के तहत धनराशि का संवितरण" के संबंध में दिनांक 25.03.2025 को लोक सभा में उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 358 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क) से (ग): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कृषि योग्य भू-धारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू किया था । इस योजना के अंतर्गत, किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ, देश भर के सभी पात्र किसानों तक बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के पहुंचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने प्रारंभ से अब तक 19 किस्तों में किसानों को रुपये 3.68 लाख करोड़ से अधिक की धनराशि वितरित की है। पीएम-किसान योजना की 19वीं किस्त के अंतर्गत 24 फरवरी 2025 को 9.8 करोड़ से अधिक किसानों को 22,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी की गई। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संवितरित की गई धनराशि का राज्यवार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

योजना के प्रचालनात्मक दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों की पहचान करने और उनका सत्यापन करने तथा पात्र किसानों का विवरण पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड करने के लिए जिम्मेदार है। पीएम-किसान पोर्टल पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त सत्यापित आंकड़ों के आधार पर, योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से लाभार्थियों को अंतरित किया जाता है। यह योजना प्रारंभ में एक ट्रस्ट-आधारित प्रणाली पर शुरू हुई थी, जहाँ लाभार्थियों को राज्यों द्वारा स्व-प्रमाणन के आधार पर पंजीकृत किया गया था। प्रारम्भ में, कुछ राज्यों के लिए आधार सीडिंग में भी छूट दी गई थी। बाद में, इसके समाधान के लिए, पीएफएमएस (PFMS), यूआईडीएआई (UIDAI) और आयकर विभाग के साथ पीएम-किसान पोर्टल का एकीकरण सहित कई तकनीकी हस्तक्षेप शुरू किए गए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक ही पहुँचे, भूमि सीडिंग, आधार संबद्ध भुगतान और ईकेवाईसी (eKYC) को अनिवार्य कर दिया गया है। इन अनिवार्य मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले किसानों का लाभ रोक दिया जाता है । जैसे ही किसान अपनी अनिवार्य शर्तों को पूरा करते है, उन्हें योजना का लाभ उनकी सभी देय किश्तों के साथ जारी किया जाता है ।

इसके अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च आय वर्ग जैसे आयकर दाता, सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी, राज्य/केंद्र सरकार, संवैधानिक पद धारकों आदि के कारण चिह्नित अपात्र किसानों को जारी की गयी किसी भी राशि की वसूली करने का अधिकार है। देश भर में अब तक अपात्र लाभार्थियों से रुपये 416 करोड़ की राशि वसूल की गई है।

योजना में किसानों का पंजीकरण, एक सतत प्रक्रिया है। किसान पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से स्वयं को ऑनलाइन पंजीकृत कर सकते हैं। ऐसे सभी आवेदनों को संबंधित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उचित सत्यापन के बाद अनुमोदित किया जाता है। ऐसे मामलों में, जहां आवेदक द्वारा आवश्यक दस्तावेज/विवरण प्रदान नहीं किए जाते हैं, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुमोदन प्राप्त होते ही, विभाग द्वारा तुरंत लाभ वितरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ कर दिया जाता है और इसे अगली किस्त में उनको जारी किया जाता है।

(घ): योजना में किसानों की पहचान स्थापित करने के लिए आधार एक प्रमुख पैरामीटर है और योजना का लाभ केवल आधार प्रमाणित किसानों को ही अंतरित किया जाता है। वर्तमान में, पीएम किसान लाभार्थियों का 100% डेटाबेस आधार से जुड़ा, प्रमाणित और ई-केवाईसी सत्यापित है। योजना के लाभों का वितरण आधार संबद्ध भुगतान प्रणाली अर्थात लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खाते में जारी किया जाता है । योजना के 15वें किस्त चक्र (अगस्त 2023 - नवंबर 2023) से, योजना के तहत आधार संबद्ध ई-केवाईसी को भी अनिवार्य कर दिया गया है।

अनुबंध

पीएम-किसान के तहत लाभान्वित लाभार्थियों का राज्यवार और किस्तवार विवरण तथा वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान उन्हें जारी की गई राशि

#	राज्य	17वीं किस्त (अप्रैल 2024 - जुलाई 2024)		18वीं किस्त (अगस्त 2024 - नवंबर 2024)		19वीं किस्त (दिसंबर 2024 - मार्च 2025)	
		लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)	लाभार्थियों की संख्या	संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	12,546	2.80	12,832	2.80	12,987	2.78
2	आंध्र प्रदेश	41,40,573	875.56	41,22,499	836.36	41,27,619	854.28
3	अरुणाचल प्रदेश	67,613	18.55	90,470	25.60	94,948	22.63
4	असम	18,14,323	425.92	18,87,572	403.52	20,87,406	475.09
5	बिहार	76,55,844	1,598.94	75,81,016	1,544.52	75,90,575	1,592.77
6	चंडीगढ़	349	0.08				
7	छत्तीसगढ	24,31,803	577.36	25,07,751	570.00	25,94,151	598.96
8	दिल्ली	10,808	2.51	10,829	2.26	11,084	2.47
9	गोवा	6,322	1.36	6,333	1.33	6,381	1.33
10	गुजरात	48,45,936	1,084.42	49,12,366	1,038.73	51,34,410	1,146.43
11	हरियाणा	15,87,993	362.17	15,99,896	342.28	16,37,141	359.89
12	हिमाचल प्रदेश	8,06,655	190.48	8,17,540	171.89	8,30,495	178.31
13	जम्मू और कश्मीर	8,53,716	192.52	8,58,653	182.64	8,80,247	201.07
14	झारखंड	18,42,849	633.38	19,97,392	546.02	19,83,858	650.36
15	कर्नाटक	43,04,824	958.27	43,48,125	941.85	43,95,092	897.90
16	केरल	27,57,444	637.26	28,15,234	597.95	28,78,013	636.28
17	लद्दाख	18,192	4.05	18,208	3.77	18,400	3.89
18	लक्षद्वीप	1,972	0.54	2,198	0.45	2,303	0.50
19	मध्य प्रदेश	80,80,410	1,679.85	81,37,378	1,682.12	83,33,799	1,767.03
20	महाराष्ट्र	91,43,101	1,940.12	91,43,517	1,888.54	92,60,727	1,961.26
21	मणिपुर	79,194	28.01	85,932	42.79	85,965	25.60
22	मेघालय	1,30,649	49.02	1,50,413	33.91	1,82,513	44.22
23	मिजोरम	99,140	36.82	1,10,964	31.68	1,23,524	33.65
24	नागालैंड	1,62,277	49.02	1,71,921	42.84	1,85,868	49.41
25	ओडिशा	30,58,332	737.89	31,50,678	689.02	34,92,835	924.18
26	पुदुचेरी	8,182	1.73	8,033	1.64	8,032	1.65
27	पंजाब	8,40,274	290.56	9,26,132	272.81	10,23,521	327.46
28	राजस्थान	67,25,726	1,525.64	70,32,027	1,545.08	73,06,768	1,661.37
29	सिक्किम	24,364	6.40	28,104	6.66	30,515	7.17
30	तमिलनाडु	21,83,435	460.03	21,94,651	455.94	22,50,180	490.42
31	तेलंगाना	30,98,123	654.66	30,77,516	627.51	31,06,592	649.15
32	दादर और नगर हवेली और दमन और दीव	11,567	2.56	11,587	2.44	11,691	2.46
33	त्रिपुरा	2,25,528	55.50	2,29,366	47.67	2,36,514	50.82
34	उत्तर प्रदेश	2,14,86,114	4,830.39	2,25,79,461	4,982.59	2,35,42,883	5,489.68
35	उत्तराखंड	7,86,760	177.97	7,96,983	168.76	8,20,368	180.94
36	पश्चिम बंगाल	44,98,404	964.42	45,03,169	931.55	45,55,495	979.03
	कुल योग	**9,38,01,342**	**21,056.75**	**9,59,26,746**	**20,665.51**	**9,88,42,900**	**22,270.45**

******